न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2021 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्रीमती मीठी पत्नी शंभु, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती तोली पत्नी लक्ष्मण, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती चम्पू पत्नी हडमा, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. रावजी पिता जीवणा, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. लक्ष्मण पिता जीवणा, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. दलपत पिता रावजी, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजू पिता लक्ष्मण, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. लालचन्द पिता गौतम, जाति भील, निवासी गांव रघावा तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 27.07.2021, प्र.सं. 14/2017

---/---

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक रे.सं. 1 से 5
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

----::----

निर्णय **दिनांक 20–02–2024**

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रका[illegible] अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक [illegible] राजस्थान काश्तकारी

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया ग्राम रधावा में वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य व खाते की कृषि आराजी नंबर 1529 व 1645/106/18 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नंबर 1646/106/38 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1647/106/37 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण ने दिनांक 30-01-2012 को उक्त आराजियात जरये पंजीकृत विक्रय विलेख से की तब से निरन्तर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का उक्त आराजियात में कोई हक, अधिकार नहीं होते हुए भी वादीगण के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27-07-2021 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06-09-2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अभिभाषक श्री तसलीम अहमद उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि विवादित आराजीयात अपीलान्टगण ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त किया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के मौखिक कथनों के आधार पर एडलोईनिंग खाता संख्या 1527 होना एवं दोनों को मध्य सीमाओं का विवाद होना मानकर हमारा वाद खारिज कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद है। प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर ही काबिज हैं, अपीलान्टगण को पता ही नहीं है कि उनकी भूमि कहां है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पर विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट/वादीगण विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार हैं एवं इस तथ्य को रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण ने भी इंकार नहीं किया है तथा उक्त भूमियां अपीलान्ट/वादीगण द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जाना भी प्रस्तुत विक्रय पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध जाकर मात्र रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के कथनों पर विश्वास करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादीगण भूमियां पास–पास होना तथा अपीलान्ट/वादीगण को अपनी भूमि का सीमाज्ञान नहीं होना मानकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–01–2021 अपास्त की जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............

व इजलास ....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. ....

श्रीमती मीठी पत्नी शंभु, जाति भील, निवासी गांव रघावा, तेजपुर, तहसील जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	रावजी पिता जीवणा, जाति भील, निवासी गांव रघावा, तेजपुर, तह. जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं............9/2021.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी........ .....बांसवाड़ा .... मुकाम...............मुवर्खे............27..............माह.............01............2021

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........20....माह........02.......सन् 2024 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी......श्री जयेन्द्र पुरोहित....मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री तसलीम अहमद ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 27–01–2021 अपास्त की जाती है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........20.....माह.......02...........2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील..........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकैन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:17 IST
Reason: SelfAttested